



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
सामान्य प्रशासन विभाग
विज्ञापन



क्र. 304 / सा.प्र.वि. / 2024

भोपाल, दिनांक 24/6/2024

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका W.P. No. 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. /676/16017123 /2023/18-1 दि० 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दि० 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दि० 04.01.2024 एवं प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/2461/1607123/2023/18-1 भोपाल दि० 15 जुलाई, 2024 तथा अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्नानुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 13.08.2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से 6:00 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण वेतनमान निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गवार रिक्रियां				निर्धारित योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
01	शीघ्रलेखक वर्ग-03	तृतीय श्रेणी	28700-91300 (लेवल-7)	00	00	01	00	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण व कम्प्यूटर प्रचालन में सा.प्र.वि. म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता।
02	लीडिंग फायरमेन	तृतीय श्रेणी	28700-91300 (लेवल-7)	00	01	00	00	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि।
03	फायरमेन	तृतीय श्रेणी	22100-70000 (लेवल-5)	00	00	01	01	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य।
04	उपयंत्री (सिविल)	तृतीय श्रेणी	32800-103600 (लेवल-8)	00	01	01	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा
05	समयपाल	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	00	01	01	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई.।
06	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	01	02	02	01	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता।

11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13 / 2019 / 3 / एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. नियुक्ति के लिए तैयार मेरिट सूची अनुसार आवेदक को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी।
23. विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया गया है मुख्य समाचार-पत्रों एवं नगर पालिक निगम, भोपाल की वेबसाइट www.bmconline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
24. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल) के पास सुरक्षित होंगे।

(हस्ताक्षर)

अपा आयुक्त

नगर पालिक निगम भोपाल

विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन आवेदकों के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम भोपाल,

स्व-प्रमाणित
साईज का
फोटो चस्पा
करें

.....पद के लिये आवेदन पत्र (आवेदित पद का नाम)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)	
2	लिंग-पुरुष/महिला	
3	पिता/पति का नाम	
4	(अ) वर्तमान निवास का पता (हिन्दी में पिन कोड/मोबाईल नंबर/ईमेल सहित) (ब) स्थाई निवास का पूर्ण पता	
5	(अ) जन्म तिथि (अंकों में) (आठवीं/हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी प्रमाण-पत्र के आधार पर स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें) जन्म तिथि (शब्दों में) (ब) दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आयु	
6	क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है? हां या नहीं (यदि हां तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)	
7	जन्म स्थान (ग्राम/शहर का नाम लिखें) (जिले का नाम लिखें) (राज्य का नाम लिखें)	
8	क्या आवेदक मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, यदि हां तो जाति/उपजाति का उल्लेख करें। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।)	
9	दिव्यंगता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा (हों या नहीं)	
10	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के पद के लिए दिव्यांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत (दिव्यांगजनों की श्रेणी- दृष्टि बाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुदिव्यांगता)	
11	रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
12	वैवाहिक स्थिति- (अ) क्या आप विवाहित हैं - हां/नहीं यदि हां तो विवाह प्रमाण पत्र (ब) यदि हां तो विवाह की तिथि (स) विवाह के समय आयु (द) जीवित बच्चों की संख्या (ई) अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक (फ) 26 जनवरी, 2001 के बाद जन्में बच्चों की संख्या	

12	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण-पत्र सहित देवें।					
13	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें)					
	क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक/प्राप्तांक
						प्राप्तांक का प्रतिशत
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

14 संलग्न स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

स्थान

दिनांक

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

:: स्व घोषणा ::

मैं.....पुत्र/पुत्री श्रीउम्र.....वर्ष.....
मध्यप्रदेश एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को वापस किया जावेगा।

हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

नाम

पता